राजस्व प्रकरण संख्याः 13/2012 दायर तारीख 02.02.2012

1. लक्ष्मीनारायण पिता बनवारी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. श्रीमती रंगशोभा पत्नि बनवारी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता श्यामलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. श्रीनारायण पिता श्यामलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
सुमित जोशी अधिवक्ता वादी
सुनील बाकलीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 08.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम चिताबडा प0ह0 चांदजी की खेडी में स्थित खाता सं0 29 पर आ0नं0 29 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 284/30 रकबा 1 बीघा, आ0नं0 286/42 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एंव आ0नं0 287/28 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की कब्जे एंव खातेदारी भूमि जो वादपत्र में वर्णित है। जिसके उतर दिशा में घनश्याम कंजर के खेत के पास जबरन कब्जा करने की नियत से अनाधिकार प्रवेश कर शनै शनै 1 बीघा कृषि भूमि पर भूजबल एंव पाश्विक बल के आधार पर कब्जा कर लिया। दिनांक 05.01.2012 को वादीगण प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने पर मना कर दिया एंव लडाई झगडा करने लग गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को झुठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी इसलिये मजबूरन वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्व यह बेदखली का वाद पेश करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने 1 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया प्रतिवादीगण को वादग्रस्त 1 बीघा कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादीगण के सिपुर्द कराया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है तथा कब्जा प्राप्ति तक मुआवजा भी वादीगण प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण को बिनायवाद अक्टुम्बर 2011 जब से वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा किया एंव दिनांक 05.01.2012 जब वादी ने कब्जा छोडने बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन किया तब से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा कि बेदखली की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि मौजा चिताबडा प0ह0 चांदजी की खेडी तह0 बिजौलियां में स्थित खाता सं0 29 पर आ0नं0 29 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 284/30 रकबा 1 बीघा, आ0नं0 286/42 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एंव आ0नं0 287/28 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि के उतरी तरफ स्थित 1 बीघा कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जावे। वादपत्र पेश करने से कब्जा दिलाया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

जाने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री सुनील बाकलीवाल ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में लिखवाया कि वादपत्र में आराजीयात होना स्वीकार है शेष इबारत गलत होकर अस्वीकार है। विवादीत भूमि पर वादी का किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही है। विवादीत भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण ने हजारो रुपयों की आर्थीक लागत लगाककर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाई है। प्रतिवादीगण का विगत कई वर्षो से कब्जा चला आं रहा है। प्रतिकुल कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण स्वतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार व कब्जा काश्त नही है वादी जबरन पाश्विक बल के आधार पर इस भूमि को हडपना चाहता है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को लेकर लडाई झगडा करने का प्रयास नही किया गया क्योकी उक्त विवादीत भूमि का स्वामित्व ही प्रतिवादीगण का है। वादी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकी प्रतिवादीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त होकर वर्तमान में फसल काश्त कर रखी है। वादी प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक पेदा नही हुआ है और न ही कभी कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया है। मात्र काल्पनिक तारीख अंकित की गई है। वादी द्वारा जो अनुतोष मांगा गया उक्त तथ्य में भी कही यह अंकित नही किया गया है कि किसी आ0नं0 पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र क्लीन हैण्ड से नही किया गया है। उस विवादीत भूमि पर कुआ प्रतिवादीगण के पिता द्वारा बनाया गया है व बोर किया गया। उक्त आराजी पर वादी के पिता व वादी सं0 2 के पति बनवारी द्वारा उक्त आराजी  में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्यामलाल कंजर को दिनांक 04.02.2010 को 5000/– अक्षरे पचास हजार रुपये में विक्रय की समपुर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा प्रतिवादीगण के पिता श्यामलाल को सोप दिया तब से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उस विक्रय पत्र दिनांक 04.02.2010 को 100/– रुपये के स्टाम्प पर निष्पादीत गवाहो के समक्ष निष्पादन किया उक्त भूमि वादी के पिता व वादी सं0 2 के पति बनवारी द्वारा अपने घरेलू कार्य में रकम की आवश्यकता होने से विक्रय की है। अब वादीगण की नियत में फितुर आ जाने से प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये झुठा एंव बेबुनियाद द्वावा पेश किया है। अतः वादी का वादपत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 खाते की नकल पेश की है

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि मौजा ग्राम चिताबडा प0ह0 चांदजी की खेडी में खाता सं0 29 पर स्थित आ0नं0 29, 284/30, 286/42 एंव 287/28 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। ...............जिम्मेवादी
2. आया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व वास्ता नही है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा होकर बेदखल किये जाने योग्य है। ...............जिम्मे वादीगण
3. आया कि वादग्रस्त भूमि के कुलिया रकबा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय वादी के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता को दिनांक 04.02.2010 को विक्रय प्रतिफल राशि 50000/– रुपयों में कर कब्जा सिपुर्द कर दिया इस कारण प्रतिवादीगण

...अधिकारी

दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादी ने भी किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की। जिससे शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

वादी ग्राम चिताबडा की जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार वादीगण वाद में प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि उनका वादीगण की 1 बीघा भूमि पर कब्जा है। प्रतिवादीगण ने जवाब में यह कथन किया कि उक्त भूमि उनकी खरीदशुदा है परन्तु इस तथाकथित खरीद के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। अतः यह सिद्व नही होता है कि 1 बीघा भूमि प्रतिवादीगण की खरीदशुदा है। अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के स्वामित्व की भूमि में से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम चिताबडा प0ह0 चांदजी की खेडी में स्थित खाता सं0 29 पर आ0नं0 29 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 284/30 रकबा 1 बीघा, आ0नं0 286/42 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एंव आ0नं0 287/28 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि के उतरी तरफ से 1 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर, कब्जा हटवाया जाकर भूमि वादी को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुखपुरा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

08/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाडा
(केम्प सुखपुरा)